उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1426/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.240-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(305)-2023

लखनऊः दिनांकः 06 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

पूर्वोक्त अधिसूचना मेः-

(क) सारणी में,

(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (vi) में, स्तम्भ (5) में 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निर्धारित शर्त के पश्चात् निम्नलिखित शर्त बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि जहां एक ही प्रकार के कारबार की इनपुट सेवा का पूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, उसी प्रकार के कारबार की इनपुट सेवा पर प्रभारित देय या भुगतान योग्य कर, जो कि 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की पूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से केंद्रीय कर लेता है । यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से केंद्रीय कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की पूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (i) में, स्तम्भ (5) में 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निर्धारित शर्त के पश्चात् निम्नलिखित शर्त बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि जहां एक ही प्रकार के कारबार की इनपुट सेवा का पूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, उसी प्रकार के कारबार की इनपुट सेवा पर प्रभारित देय या भुगतान योग्य कर, जो कि 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की पूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से केंद्रीय कर लेता है । यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से केंद्रीय कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के कारबार की पूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष,

(क) स्तम्भ (3) में, मद (iv) में, शब्द "टोटलिसेटर या अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द "अनुज्ञापन" रख दिया जायेगा;

(ख) स्तम्भ (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी;

(ख) अनुलग्नक में: सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम,

(i) क्रम संख्या 696 और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी;
(ii) क्रम संख्या 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की पूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से केंद्रीय कर लेता है । यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से केंद्रीय कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के कारबार की पूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष,

(क) स्तम्भ (3) में, मद (iv) में, शब्द "टोटलिसेटर या अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द "अनुज्ञापन" रख दिया जायेगा;

(ख) स्तम्भ (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी;

(ख) अनुलग्नक में: सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम,

(i) क्रम संख्या 696 और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी;
(ii) क्रम संख्या 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव